न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या –02/2019 (आवन्टन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2019/000117

सरकार जर्ये तहसीलदार तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

1. श्री गोबरीलाल पुत्र लाला कोम बलाई निवासी मोरपा तहसील लाडपुरा मृतक जरिये कायम मुकामान

1/1 रामकरण पुत्र गोबरीलाल

1/2 रामनारायण पुत्र गोबरीलाल

1/3 प्रभूलाल पुत्र गोबरीलाल

1/4 रामचरण पुत्र गोबरीलाल

निवासीगण ग्राम मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

2. मु0 सज्जन बाई बेवा किशनलाल जाति ब्राह्मण निवासी मोरपा तहसील लाडपुरा

––अप्रार्थी.

जिला कलक्टर कोटा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) आवंटन निरस्त करने ।

उपस्थित–

1. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 15 /04/2026

1. प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि श्री गोबरीलाल पुत्र लाला कौम बलाई व मु0 सज्जन बाई बेवा किशनलाल जाति ब्राह्मण निवासी मोरपा को ग्राम गोदल्याहेडी तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 2 रकबा 1.65 हे0 भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी, जो आवंटी के नाम गैर खातेदारी से दर्ज रिकार्ड है । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया।
2. प्रकरण पेश होने पर दिनांक 14.05.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी नं0 1 गोबरीलाल की फोत होने की सूचना प्राप्त होने पर कायम मुकामान रिकार्ड पर लिये गये । अप्रार्थीगण को जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त । अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई ।
3. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि आवंटी अप्रार्थी को ग्राम गोदल्याहेडी तह0 लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 02 रकबा 1.65 हे0 भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना में कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन

किया जाने पर तहसीलदार लाडपुरा ने आवंटन निरस्तीकरण का प्रकरण प्रस्तुत किया है । अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से यह जाहिर है कि आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा कब्जा काश्त नहीं की जा रही है अपितु अन्य व्यक्ति यशवन्तसिंह निवासी गोरपा द्वारा कब्जा काश्त की जा रही है। अतः प्रार्थी तहसीलदार का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के हक में किया गया भूमि आवंटन निरस्त फरमाया जावें ।

4. हमने पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थी को ग्राम गोदल्याहेडी तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 02 रकबा 1.65 हे0 भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी किन्तु अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं करने से तथा आवंटन शर्तो का उल्लंघन करने से तहसीलदार लाडपुरा द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है । अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित है । अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये किन्तु अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से यह जाहिर आ रहा है कि आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं होकर अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जा काश्त किया जा रहा है, इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की अवहेलना की है । अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन अपास्त किया जाना उचित पाते है ।

5. परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में किया गया भूमि आवंटन अपास्त किया जाकर ग्राम गोदल्याहेडी की आराजी खसरा नम्बर 02 रकबा 1.65 हे0 भूमि सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार लाडपुरा आदेश की पालना में उक्त आवंटित भूमि सिवायचक दर्ज करते हुए कब्जा राज लेवें ।

6. निर्णय आज दिनांक 15.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा